

कार्यालय जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक मान्यता-टी०सी०/

/2020-21

दिनांक

प्रबन्धक,

सेट जेवियर्स हाईस्कूल (जू०हा०स्कूल स्तर)
शाहपुर बम्हेटा गाजियाबाद।

कृपया आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 07-11-2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विद्यालय की मान्यता स्थायी करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन पत्र पर खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र गाजियाबाद द्वारा अपनी संस्तुति अंकित की गई है।

प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार विद्यालय को नर्सरी से कक्ष ८ तक जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता इस कार्यालय के पत्रांक /मान्यता-शि०सी०/9670-72 /2017-18 दिनांक 31-01-2018 द्वारा प्रदान की गई है।

अतः सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की संस्तुति दिनांक 11-11-2020 के आधार पर शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041 दिनांक 11-01-2019 एवं शासनादेश संख्या- 196/अडसठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 29 जून 2020 द्वारा मान्यता की शर्तों में किये गये संशोधन आदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्त पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत न होने के कारण विद्यालय को पूर्व में दी गई मान्यता स्थायी की जाती है। विद्यालय को भविष्य में भी मान्यता की शर्तों के मानक को बनाये रखना होगा।

(द्वंजभूषण चौधरी)

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

/2020-21 तददिनांक

पू०सी० मान्यता-टी०सी०/

प्रतिलिपि— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

St. Xavier's High School

Principal



जितन वसिक शिक्षा अधिकारी,
माजेयाबाद।

ग्रन्थालय

सेट जिहिर्स हाई स्कूल (ज०हा०रकूल स्टर) -
भादेत्प लल्ड सिटी शाहपुर वर्म्हटा गाजियाबाद।

प्र० १०००/

/ 2017-18

दिनांक : 11/1/18

प्र० २ - ने शुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मानदत्ता घोषणा-पत्र।

२ : नहांदाद, बड़ोदया

आपके आवेदन पत्र दिनांक 31.08.2017 के और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ परचात्वती गवाहार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं सेट जिहिर्स हाई स्कूल (ज०हा०रकूल स्टर) आदित्य लल्ड सिटी शाहपुर वर्म्हटा माजेयाबाद को कक्षा नर्सरी से कक्षा-४ तक इत्यु दिनांक 01.04.2018 से भी वर्ष की अवधि के लिए मान्यता समिति की घोषित करता हूँ-

मान्यता ने लिये स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ४ के बाद मान्यता / सम्बद्धता प्रदान करने के आदित्य को विवक्षित नहीं करता है।

विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय कक्षा १ ने (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास-पड़ोस के बासज़ेर और अंदर साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य नायनेश, उच्च प्राथनिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

उपर-३ में निर्दिष्ट बालकों को लिए विद्यालय जो अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार निःकृत किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया याज्ञ बनने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

उपर-३ उपर-५ के बालकों के उपबंधों के अनुसार एक पृथक बैंक खाता रखेगा। उपर-५ के बालकों को उपबंधों के अनुसार एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

विद्यालय किसी शालक जो उसकी आयु वा सदूत न होने के कारण, धर्म, जाति, अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी भी विद्यालय पर प्रवेश देने से डंकार नहीं करेगा।

विद्यालय निन्नलिभित बालों को सुनिश्चित करेगा-

(ए) दूसरे दौर गर्द किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथनिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा ना उस विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ट) किसी भी बालक का शारीरिक दण्ड या गनसिक उत्तीर्ण के अप्राधीन नहीं किया जाएगा।

(त) प्राथनिक रोधा दूसरे होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण बनने की अपेक्षा नहीं बीं जाएगी।

(घ) प्राथनिक रोधा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के स्वीन अधिकृति किए गए अनुसार एक प्रगाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(घ'च) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्ता प्रस्तु / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(घै) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन यथा अधिकृति न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और निःशक्ता अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि तक भीतर उसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(म घ) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों या पालन करता है, और अध्यापक वर्ग को किसी भी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

. विद्यालय रम्यता प्रानिकारी द्वारा निर्धारित पात्रवर्धी के आधार पर नाल्यकम का पालन करेगा।



- ९ विद्यालय संस्करण १ ग्रन्थालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की घास १५ में दर्शाया गया है। यद्यपि संस्करण के मानकों और समियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई गणना निम्नानुसार है—
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल—१५४२ वर्गमीट कुल निर्भेत क्षेत्र—१५३६ वर्गमीट कीड़ा—स्थल का क्षेत्रफल—शून्य गणना की संख्या—११ प्राधानाध्यापक कक्ष—०१ राह—कार्यालय—०१ सह—भंडागार के लिए कक्ष—०१ या उस और वालिकाओं के लिए उथक शीघ्रालय—है पंजिल सुविधा—उपलब्ध है।
- १० यह स्थल के लिए रसोइ—X बाबा शहित पढ़ाया है।
- ११ यह स्थल सामग्री कीड़ा खेतकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता
- १२ विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं घलाई जाएंगी।
- १३ विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा—स्थल का प्रयांग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किए जाता है।
- १४ विद्यालय जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (१८६० का २१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्त्वमय प्रपूत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
- १५ यह स्थल को किसी व्याटि व्यटियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यवितयों के लाभ के लिए नहीं घलाया जा रहा है।
- १६ विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक गण जैला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- १७ आपका विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक नंसी—VIII—६८/२०१९—२० है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
- १८ विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो गान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपलन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्याकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
- १९ जिला छात्राओं के वैठने हेतु प्रति छात्र ९ वर्ग फीट का रथान सुरक्षित करते हुए कक्षों की माप के हिस्साय से छात्र संख्या निर्धारित की जाए।
- २० विद्यालय प्रबन्धन/न्याय और कार्यालयी वर्ग समय समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्दशों का अनुपालन करेगा।
- २१ सलग्न अनुसलग्नक हीन को अनुसार अन्य शर्तें।

मान्यता प्राप्त करने में यदि किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा अथवा दिये गये पत्राजातों में कोई पत्र कर्जी या कूटरचित पाया जाता है तो यह मान्यता पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा उचित कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीग

(विनय कुमार)
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।


४०८०/मान्यता/ /2017-18 तदनिंदाक—

गतिलिपि—निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है—

- १. मण्डलीय रहायक शिक्षा निदेशक वैसिक प्रथम नप्डल मेरठ।
- २. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र कविनगर संभाग गाजियाबाद।
- ३. कार्यालय प्रति।

(विनय कुमार)
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

St. Xavier's High School
Principal



संलग्नक-अनुलग्नक तीन

विद्यालयों के संचालन हेतु अन्य शर्तों निम्नवत् होगी-

- १- प्राइमरी से कक्षा-४ तक के शिक्षण के लिये ३०प्र० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली २०११की धारा-६ के प्रत्यार-१५ में प्रदला व्यवस्थानुसार अहंताधारी अध्यापक/अध्यापिकाओं का स्पष्टता होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिये कम से कम प्राइमरी कक्ष हेतु विज्ञान और गणित, रासायिक अध्ययन गापा से सम्बन्धित शिक्षक उपलब्ध हों, इसके अतिरिक्त बाल शिक्षा, रासायन एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षण हेतु भी एक एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए।
- २- विद्यालय में आवश्यकतानुसार लिपिक एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जानी आवश्यक है। चौकोटार आया एवं सफाई कर्मचारी की अशक्तिक नियुक्ति मान्य की जा सकती है। शेष सभी शिक्षक, शिक्षणोत्तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक होना आवश्यक है।
- ३- विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रवन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिवेशाकाल, रथायीकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। प्रवन्धाधिकरण के रामक अधिकारी एवं विद्यालय के सभी श्रेणी के कर्मचारियों(प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षणोत्तर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के मध्य विधिमान्य सेवा सम्बन्ध निष्पादित किया जायेगा और जो सम्बन्धित जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिरक्षाकारी कराना होगा और उसकी एक प्रति जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।
- ४- सेवा नियमावली में अवगता, पेशन, ग्रेचुटी, वीमा, पी०एफ० तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
- ५- मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क भिलाकर उतना नासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान बहन करने के लिये चाहिए हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन मान्यता के वश्वात शुल्क आय के २० प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष का नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह १० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा नियमित निर्धारित मदों में शुल्क लिया जा सकता है- १-शिक्षण शुल्क २- मंहगाई शुल्क ३- विकास शुल्क ४- विज्ञान शुल्क ५-प्ररकाशलय एवं वाचनालय भीड़ शुल्क ६- विज्ञान शुल्क ७- श्रव्य शुल्क ८-कॉर्ट शुल्क ९- परीक्षा/मुल्यांकन १०- विद्यालय भवनारोह/उत्सव ११- विशेष विषयों की शिक्षा- कम्प्यूटर/संगीत आदि।
- ६- विद्यालय स्वीकृत सेवा शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- ७- यह वेसिक शिक्षा अधिकारी रव्वे या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर यह अभिलिखित जानकारी से सत्य है कि मान्यता प्रदत्त किसी विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित एक या एक से अधिक इत्ती द्वारा जल्दीन किया गया है अथवा अनुरूपी में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में घूल की दृढ़ि द्वारा विद्यालय को एक मह के अंदर स्पष्टीकरण सम्बन्धी नाटिस निर्गत किया जायेगा। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा स्पष्टीकरण सतोपजनक नहीं होता तो तो नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरण की दर्शायेगी की जायेगी।
- ८- जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्ण अनुगति के दिन रास्ता द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग न खोला जायेगा और न ही वन्द विद्या जायेगा न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। जिसी भी विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुगति नहीं होगी।
- ९- द्रग्मतया नियंत्रित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों ऊ दृष्टिगत औपचारिक मान्यता तीन वर्ष के द्वितीय दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य सामाजिक नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी तीने पर रह गान लिया जायेगा कि विद्यालय को द्रग्मतया मान्यता प्राप्त हो गई है।

वेतन मानकों, शर्तों का कड़ाइ रा अनुपालन हिला जाय। . . .



४५१

St. Xavier's High School

Principal

(पिंय कुमार)
जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।